<u>न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–76/1995</u>

<u>CIS NO TS 166/2019</u>

मृतक अब्दुल बारी के विधिक वारिसान एवं अन्य.....................................वादीगण

बनाम

जगदीश सिंह एवं अन्य..प्रतिवादीगण

<u>DATE</u>	**<u>ORDER</u>**	**<u>REMARKS</u>**
07.03.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वाद पुकार किया गया। वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 01.02.2024 अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–08 मो0 रसीद अंसारी की मृत्यु दिनांक 20.06.2023 को हो चुका है तथा मृतक अपने नावल्द मरे है। अतः प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकार कर मृतक का नाम प्रतिवादी कॉलम से कलमजद करने की कृपा की जाय। प्रतिवादी द्वितीय पक्ष की ओर से वादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 22.12.2024 को दाखिल कर कहा गया कि प्रतिवादी सं0–08 मों0 रसीद मियॉं अपने पीछे अपनी विधवा अमरूल नेशा एवं दो पुत्र मो0 ममताज अंसारी तथा शानसाह अंसारी एवं तीन पुत्री फुलतारा खातुन, अकलिया खातुन एवं अनारसा खातुन को छोडकर मरें है तथा प्रतिस्थापन आवेदन समय सीमा से दाखिल नहीं किया गया है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–08 मो0 रसीद अंसारी की मृत्यु हो चुकी है, जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। नियमन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमन K Rudrappa V/S Shivappa AIR 2004, SC 4346 एवं Ganesh Prasad Badrinath Lahoti V/S Sanjeev Prasad Jamuna Prasad Chaurasia AIR 2004, SC 4158 के आलोक में तथा न्यायहित में वादीगण की ओर से	

<u>न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–76/1995</u>

<u>CIS NO TS 166/2019</u>

मृतक अब्दुल बारी के विधिक वारिसान एवं अन्य......................................वादीगण

बनाम

जगदीश सिंह एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार 07.03.2025	दाखिल आवेदन दिनांक 01.02.2024 स्वीकार किया जाता है तथा मृतक के विधिक वारिसानों में मृतक की विधवा पत्नी अमरूल नेशा एवं दो पुत्र मो0 ममताज अंसारी तथा शानसाह अंसारी एवं तीन पुत्री फुलतारा खातुन, अकलिया खातुन एवं अनारसा खातुन का नाम प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जाती है। वादीगण प्रतिस्थापन करें तदपश्चात् समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। कार्यालय जाँचोपरांत समन जारी करें। वाद दिनांक 27.03.2025 वास्ते उपस्थिति हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	